

## दिवियांग जनसंख्या को आपदा से बचाने की तैयारी

### प्रलिमिस के लिये:

आपदा जोखमि न्यूनीकरण के लिये संयुक्त राष्ट्र कारयालय (UNDRR), आपदा जोखमि न्यूनीकरण के लिये अंतर्राष्ट्रीय दविस, दिवियांग व्यक्तियों के अधिकारों पर अभिसमय, आपदा जोखमि न्यूनीकरण के लिये सेंदाई फ्रेमवरक 2015-2030, भूकंप, ज्वालामुखी

### मेन्स के लिये:

आपदा जोखमि न्यूनीकरण और प्रबंधन में दिवियांगों की समावेशता को बढ़ावा देने की आवश्यकता।

**स्रोत: डाउन टू अरथ**

### चर्चा में क्यों?

13 अक्टूबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखमि न्यूनीकरण दविस से ठीक पहले संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखमि न्यूनीकरण कारयालय (UNDRR) द्वारा हाल ही में जारी एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि पिछले दशक से प्राकृतिक आपदाओं के दौरान दिवियांग व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये सरकारी नीतियों की प्रगति में कमी आई है।

### UNDRR सर्वेक्षण के निषिकरण:

- सर्वेक्षण के निषिकरण:
  - 132 देशों के 6,000 उत्तरदाताओं को शामिल करते हुए वर्ष 2023 सर्वेक्षण से पता चलता है कि 84% दिवियांग व्यक्तियों को निकासी मार्गों, आश्रय घरों या व्यक्तिगत तैयारी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है, जबकि वर्ष 2013 में यह आँकड़ा 71% था।
  - वर्तमान में केवल 11% उत्तरदाता अपने स्थानीय क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन योजनाओं के बारे में जानते हैं, वर्ष 2013 में 17% से कम व्यक्तियों आपदा जोखमि जानकारी के बारे में जानते थे।
- दिवियांग व्यक्तियों की चतिएँ:
  - आपदाओं के दौरान दिवियांग व्यक्तियों को अधिक खतरा होता है, वैश्वकि आबादी के लगभग 16% लोग दिवियांग हैं और इनकी आपदाओं के दौरान मृत्यु होने की संभावना भी अधिक है।
  - समुदाय-स्तरीय आपदा योजना में भाग लेने में बढ़ती रुचि के बावजूद, 86% उत्तरदाताओं को अभी भी बहिष्कृत महसूस होता है, जो समावेशन की आवश्यकता पर बल देते हैं।
- सर्वेक्षण के सुझाव:
  - यह रपोर्ट आपदाओं और असमानता के अंतर्संबंध पर ज़ोर देती है तथा सेवाओं तक असमान पहुँच से सर्वाधिक जोखमि वाले समूहों की भेदयता बढ़ा जाती है।
  - आपदा जोखमि न्यूनीकरण के लिये सेंदाई फ्रेमवरक 2015-2030 दिवियांगता समावेशन, सुलभ आपदा जोखमि जानकारी और समावेशी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का आह्वान करता है।
  - प्रारंभिक चेतावनी प्रणालीयों को सुदृढ़ करना महत्वपूर्ण है क्योंकि आधे देशों में इन तंत्रों का अभाव है और समय पर चेतावनी से निकासी दर में काफी सुधार हो सकता है।
  - इन चुनौतियों का समाधान करने और सामुदायिक आपदा जोखमि न्यूनीकरण योजना में दिवियांग जनों का सारथक समावेश सुनिश्चित करने के लिये तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

### आपदा जोखमि न्यूनीकरण (2015-30) के लिये सेंदाई फ्रेमवरक:

- परचिय:
  - इसे जापान के सेंदाई में आपदा जोखमि न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन, 2015 में अपनाया गया था।
  - वर्तमान रूपरेखा प्राकृतिक या मानव नियमित खतरों के कारण छोटे और बड़े पैमाने पर तीव्र या धीमी गति से घटति होने वाली

आपदाओं के साथ-साथ संबंधित पर्यावरणीय एवं तकनीकी जैवकि खतरों और जोखमिं पर लागू होती है।

◦ इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों के भीतर और बाहर विकास में आपदा जोखमि के बहु-जोखमि प्रबंधन का मार्गदर्शन करना है।

◦ यह हयोगो फ्रेमवरक फॉर एक्शन (HFA), 2005-2015: आपदाओं के प्रतिराष्ट्रों और समुदायों की समुत्थानशक्ति के 'नरिमाण' का उत्तरोत्तर उपकरण है।



# THE SENDAI FRAMEWORK OUTLINES SEVEN GLOBAL TARGETS TO BE ACHIEVED BY 2030:

## SUBSTANTIAL REDUCTIONS

A. Reduce global disaster mortality



B. Reduce the number of affected people globally



C. Reduce direct economic loss in relation to GDP



D. Reduce disaster damage to critical infrastructure and disruption of basic services



E. Increase the number of countries with national and local disaster risk reduction strategies



F. Substantially enhance international cooperation to developing countries



G. Increase the availability of and access to multi-hazard early warning systems

## SUBSTANTIAL INCREASES

- चार प्राथमिक क्षेत्रों में की जाने वाली कार्रवाइयाँ:
  - आपदा जोखमि को समझना:

- प्रासंगिक डेटा और व्यावहारिक जानकारी के संग्रह, विश्लेषण, प्रबंधन एवं उपयोग को बढ़ावा देना तथा इसका प्रसार सुनिश्चित करना।
- आपदा से होने वाले नुकसान का व्यवस्थिति रूप से मूल्यांकन करना, उसे रकिंरुड करना, साझा करना व सार्वजनिक रूप से हसिब देना और इसके आरथिक, सामाजिक, स्वास्थ्यप्रद, शैक्षिक एवं प्रयावरणीय प्रभावों को समझना।
- आपदा जोखिम के प्रबंधन हेतु आपदा जोखिम प्रशासन का सुदृढ़ीकरण:
  - स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर चहिनति जोखिमों से निपटने के लिये तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक आपदा जोखिम प्रबंधन क्षमता का आकलन करना।
  - कषेत्रीय कानूनों और वनियमों के मौजूदा सुरक्षा-बढ़ाने वाले प्रावधानों के उच्च स्तर के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक तंत्र एवं प्रोत्साहन की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
- समुदायनशक्ति के लिये आपदा जोखिम नियन्त्रिकरण में निवारण:
  - सभी प्रासंगिक क्षेत्रों में आपदा जोखिम नियन्त्रिकरण रणनीतियों, नीतियों, योजनाओं, कानूनों तथा वनियमों के विकास और कार्यान्वयन के लिये प्रशासन के सभी स्तरों पर वित्त एवं रसद सहाति आवश्यक संसाधनों को उचिति रूप से आवंटित करना।
- पुनरप्राप्ति, पुनर्वास और पुनरन्विरामण:
  - बचाव और राहत कार्यों को लागू करने के लिये लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना तथा आवश्यक सामग्रियों के भंडारण के लिये सामुदायिक केंद्र की स्थापना।
  - मौजूदा कार्यबल और स्वैच्छिक कार्यक्रमों को आपदा प्रतिक्रिया के बारे में प्रशक्षिति करना तथा आपात की स्थितियों में बेहतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिये तकनीकी व तारकिक क्षमताओं में वृद्धि करना।

## दवियांगजनों के सशक्तीकरण के लिये पहलें:

- वैश्वक स्तर पर:
  - दवियांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभियान:
    - PwD के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभियान** (UN Convention on the Rights of PWD- UNCRPD) को वर्ष 2006 में अपनाया गया था, यह दवियांगजनों को ऐसे लोगों के रूप में प्रभावित करता है जो दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अथवा संवेदी दुर्बलताओं से ग्रस्त हैं और अपनी विशेष सीमितताओं के कारण अन्य लोगों की तुलना में समाज में भागीदारी करने में सक्षम नहीं हैं।
    - भारत ने वर्ष 2007 में इस अभियान की पुष्टि की।
      - भारतीय संसद ने UNCRPD के तहत दायतितवों को पूरा करने की दृष्टि से दवियांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को अधिनियमति किया।
  - भारत द्वारा किये गए प्रयास:
    - संवेदानकि प्रावधान:
      - राज्य के नीति निदिशक सदिधांतों** (Directive Principles of State Policy- DPSP) के अनुच्छेद 41 में वर्णित है कि राज्य अपनी आरथिक क्षमता एवं विकास को ध्यान में रखते हुए कार्य करने, शिक्षा पाने और बेरोजगारी, बुद्धिमती व दवियांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुरक्षित करने के लिये प्रभावी प्रावधान लागू करेगा।
      - संवेदानकि की सातवी अनुसूची की राज्य सूची में 'दवियांगजनों और बेरोजगारों के लिये राहत' का विषय निर्दिष्ट है।
    - दवियांगजनों के लिये कानून:
      - दवियांगजन (समाज अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूरण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को दवियांगजनों का अधिकार अधिनियम, 2016 से प्रत्यापिति किया गया है।
      - दवियांगता के प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। इस अधिनियम में मानसिक बीमारी, ऑटजिम, स्पेक्ट्रम विकार, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियों, बोलने में असमर्थता (जिसमें व्यक्तिकी बोलने की क्षमता और भाषा का कौशल दोनों प्रभावित हों), थेलेसीमिया, हीमोफलिया, सकिल सेल रोग, डेफबलाइडेनेस, एसडि अटैक पीड़ितों और **पारक्सिसिं रोग** सहित कई दवियांगताएँ शामिल की गई हैं। ये कुछ ऐसी दवियांगताएँ हैं जिन्हें पहले के अधिनियम में नज़रअंदाज कर दिया गया था।
      - यह दवियांगता से पीड़ित लोगों के लिये सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% और उच्च शिक्षा संस्थानों में 3% से बढ़ाकर 5% कर देता है।
      - 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच बैचमार्क दवियांगता वाले प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा।
    - सुगम्य भारत अभियान (PWD के लिये सुगम्य वातावरण का निर्माण):
      - सार्वभौमिक पहुँच प्राप्त करने के लिये यह सार्वभौमिक राष्ट्रव्यापी अभियान दवियांग लोगों को समाज अवसर, स्वतंत्र रूप से जीने और समाज के सभी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से शामिल होने की क्षमता प्रदान करेगा।
      - अभियान का लक्ष्य दवियांगों तक प्रयावरण, परविहन प्रणाली और सूचना एवं संचार पारस्थितिकी तंत्र की पहुँच को बढ़ाना है।

## प्रश्न:

प्रश्न. भारत सरकार द्वारा पहले के प्रतक्रियाशील दृष्टिकोण से हटकर आपदा प्रबंधन हेतु शुरू किये गए हालया उपायों की चर्चा कीजिये। (2020)

प्रश्न. आपदा प्रभावों और लोगों के लिये उसके खतरे को परभिष्ठि करने के लिये भेद्यता एक अत्यावश्यक तत्त्व है। आपदाओं के प्रतिभेद्यता का किस प्रकार और किस-किस तरीकों के साथ चरतिर-चरितरण किया जा सकता है? आपदाओं के संदर्भ में भेद्यता के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिये। (2019)

प्रश्न. भारत में आपदा जोखमि न्यूनीकरण (डी.आर.आर.) के लिये 'सेंदाई' आपदा जोखमि न्यूनीकरण प्रारूप (2015-30) हस्ताक्षरति करने से पूर्व एवं उसके पश्चात किये गए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिये। यह प्रारूप 'हयोगो कार्यवाई प्रारूप, 2005' से किस प्रकार भनिन है? (2018)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/disabled-population-and-disaster-preparedness>

